

एसईसी -1/187(2)/2025/2217

दिनांक: 26 मार्च, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <b>Mumbai-400 051</b>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <b>Mumbai - 400 001</b>
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

**विषय: 26 मार्च, 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक के परिणाम।**

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") के निदेशक मण्डल ने अपने 26 मार्च, 2025 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक में निम्नलिखित बदलावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का बाजार उधार कार्यक्रम निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	₹ (करोड़ में)
1.	क) घरेलू बॉण्ड/डिबेंचर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो कूपन, सतत, अधीनस्थ, मुद्रास्फीति सूचकांक, कर-मुक्त, मूलधन संरक्षित, बाजार से जुड़ा, ग्रीन बॉण्ड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बॉण्ड, आंशिक रूप से भुगतान किए गए, अलग से हस्तांतरणीय रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स (एसटीआरपीपी), स्टैगर्ड मैच्योरिटी, संचयी ब्याज, स्टेप अप कूपन, बॉण्ड ईटीएफ का हिस्सा बनने वाले बॉण्ड, लिक्विडिटी विंडो सुविधा वाले बॉण्ड या कोई अन्य बॉण्ड /डिबेंचर, ब्याज दर स्वैप/विकल्प के साथ/बिना, बॉण्ड /डिबेंचर संरचना में एम्बेड किए गए/बिना किए गए बॉण्ड को नियामक प्राधिकरणों द्वारा चाहे असुरक्षित/सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, रिडीमेबल, कर योग्य/कर मुक्त, चाहे निजी या सार्वजनिक प्लेसमेंट के आधार पर समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।  (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड या भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य अधिनियम के तहत;	1,55,000

**क्षेत्रीय कार्यालय :** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

**राज्य कार्यालय :** वडोदरा, वाराणसी

**प्रशिक्षण केंद्र :** आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

	(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी/कॉर्पोरेट/अन्य संस्थाओं आदि से रुपया अवधि ऋण; (घ) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जिसमें विदेशी मुद्रा अवधि ऋण/विदेशी मुद्रा बॉण्ड/रुपया ऑफशोर बॉण्ड (मसाला या कोई अन्य बॉण्ड)/ग्रीन बॉण्ड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बॉण्ड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; निर्यात ऋण सहायता (ईसीए); आधिकारिक विकास सहायता ऋण (दीर्घ/मध्यम/अल्पकालिक); विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी); विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] ऋण; बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी/अन्य संस्थाओं/बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों आदि से निर्यात ओडीए ऋण (रोलओवर को छोड़कर) शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।	
2.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी द्वारा 6 महीने से अधिक समय के लिए अल्पावधि ऋण (एसटीएल)। <i>वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी आदि से लिए गए और चुकाए गए अल्पावधि ऋण को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।</i>	10,000
3.	वाणिज्यिक कागजात वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए और चुकाए गए वाणिज्यिक पत्र को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।	5,000
<b>योग</b>		<b>1,70,000</b>
<i>नोट : 6 महीने से कम अवधि के अल्पकालिक ऋण (एसटीएल)/नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं (ओडी), कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या इसी प्रकार की अन्य सुविधा/व्यवस्था के लिए बकाया राशि ₹20,000 करोड़ से अधिक नहीं होगी और यह ₹1,70,000 करोड़ के उपरोक्त बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगी।</i>		

उपरोक्त उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों को विभिन्न परिपक्वताओं के लिए, विभिन्न साधनों के माध्यम से, निधियों की वास्तविक आवश्यकता, परिसंपत्ति-देयता की स्थिति और प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जुटाया जाएगा।

(ख) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, सीएमडी - पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नियुक्ति 21 मार्च, 2025 से सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर आरईसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में की गई है।

*इसके अलावा, 13 जुलाई, 2023 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार अपेक्षित खुलासे, 21 मार्च, 2025 के हमारे पत्र के माध्यम से उक्त नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।*


बोर्ड की बैठक सुबह 9:45 बजे शुरू हुई और सुबह 11:05 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti  
Shubhra  
Amitabh

भवदीय,



(जे. एस. अमिताभ)  
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव